

19.04.2022

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी की अपील में सिविल कारावास की सजा निरस्त करने का निर्णय आज हो चुका है। अतः इस स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अब किसी तरह की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना-पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

B. L. 100
(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही